21/ 12/21

2 214/ 4/Mumun M. M-932 मुकुन्दपुर

सिल्वर स्प्रिंगस ...

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 905 /2663365/2025/18–1 भोपाल, दिनांक 11/03/2025

प्रति,

1) आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

2) आयुक्त सह–संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश, भोपाल

3) आयुक्त,
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल

विषयः– **रिट अपील दायर करने की अनुमति देने में दिमाग का उपयोग करने संबंधी।**

––––00––––

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 3/1/2/0078/2025–जीएडी–8–01 जीएडी दिनांक 19.02.2025 का कृपया अवलोकन करें।

2/ माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 114/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि मध्यप्रदेश

शासन के एक विभाग के उप सचिव द्वारा रिट अपील दायर करने की अनुमति दी गई जबकि महाधिवक्ता कार्यालय एवं विधि विभाग द्वारा रिट अपील दायर करने का अभिमत नहीं दिया गया था।

3/ अतः उच्च न्यायालय ने अपेक्षा की है कि अपील दायर करने की अनुमति यंत्रवत् और दिमाग का उपयोग किए बिना नहीं दी जाना चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय एवं विधि विभाग से प्राप्त अभिमत का सम्मान करना चाहिए। यदि अगली बार बिना कोई कारण बताए अपील दायर की गई तो संबंधित अधिकारी पर कास्ट अधिरोपित की जाएगी।

4/ अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

7/3/25

(धीरज शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 397
दिनांक 24/03/25
शाखा विधि
संयु.संचा.(स्था.) आयुक्त

Ag II

27/03/2025

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 3/1/2/0078/2025-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 19/2/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
भोपाल।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
आवक क्र. 2663365/LBL
दिनांक 28/02/2025

विषयः- रिट अपील दायर करने की अनुमति देने में दिमाग का उपयोग करने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 114/2025 में पारित आदेश दिनांक 22/01/2025 द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के एक विभाग के उप सचिव द्वारा रिट अपील दायर करने की अनुमति दी गई जबकि महाधिवक्ता कार्यालय एवं विधि विभाग द्वारा रिट अपील दायर करने का अभिमत नहीं दिया गया था।

2/ अतः उच्च न्यायालय ने अपेक्षा की है कि अपील दायर करने की अनुमति यंत्रवत् और दिमाग का उपयोग किए बिना नहीं दी जानी चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय एवं विधि विभाग से प्राप्त अभिमत का सम्मान करना चाहिए। यदि अगली बार बिना कोई कारण बताए अपील दायर की गई तो संबंधित अधिकारी पर कास्ट अधिरोपित की जाएगी।

4/ अतः समस्त विभागों द्वारा कृपया माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए एवं उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए।

19/2/2025

(शैलबाला ए. मार्टिन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

DS (RK)
OSD (DS)
24.2

SO-1
24/2

क्र. 357 /उस/नविआवि/20
दिनांक 24/02/2025

4080/उस/नविआवि/20
क्र (IN) 21/02/25

24/02/2025

पृ. क्रमांक 3/1/2/0078/2025-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 19/2/2025

प्रतिलिपिः-

1- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।

2- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर क्रमांक सीएस/मॉनिट/153/2025 दिनांक 03/02/2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

3. उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।

4. उप सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1) की ओर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग